

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 20th Sept., 2018.

ALL CONCERNED

Sub: Out-of-Turn Promotions OTP) to outstanding Sportspersons and Coaches to Officer Cadre on sports accounts for representing India in Category A & B International Championships and on being awarded Padma Shri Award.

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2018/E(Sports)/4(3)/4/Policy dated 17/08/2018 (RBE No.123/2018) (Clarification/Corrigendum No. 97) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copies of Railway Board's earlier letters dated 31/12/2010 and 23/05/2013, as referred in Board's present letter, were communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial Nos. 05/2011 & 76/2013 respectively.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.

Pm 20/9/18
(P.Chatterjee)

Sr. Personnel Officer/ W & IR
for Principal Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2018/E(Sports)/4(3)/4/Policy dated 17/08/2018 (RBE No.123/2018) (Clarification/Corrigendum No. 97) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

Sub.: Out-of-Turn Promotions (OTP) to outstanding Sportspersons and Coaches to Officer Cadre on sports accounts for representing India in Category A & B International Championships and on being awarded Padma Shri Award.

Ref.: Board's letters nos. (i) 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189/2010),

(iii) 2012/E(Sports)/4(1)/3/OTP/DOPT dated 23.05.2013 (RBE No. 50/2013) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

Please connect Para 9.2.1.1, 9.2.2.1 & 9.2.A of Board's policy letters mentioned above regarding out of turn promotion to outstanding sportspersons and Coaches for participation in Category-A & B International Championships.

Ministry of Railways (Railway Board) in partial modification/ addition of the above have now decided that,

i) Out of turn promotion may be granted to a sportsperson to Officer Grade if he fulfills the following conditions:

a) Who has represented India in the Olympics on atleast two occasions and has won at least one medal in Commonwealth Games/Asian Games medals.

OR

b) Who has represented India in the Olympics on atleast two occasions and has been conferred Arjuna/Rajiv Gandhi Khel Ratna Award.

OR

c) Who is conferred Padma Award on the basis of achievement in sports and is regular employee.

ii) One out of turn promotion may be granted to a Coach in Officer Grade if he fulfills the following conditions:

(A) Who is conferred Padma Award on the basis of achievement in sports and is regular employee.

OR

- b) If he/she has trained a sportsperson or a team which goes on to win a medal on at least 3 occasions of Category A or B championship including atleast 01 Olympic and substantively be in grade pay Rs. 4200 (or equivalent in 7th CPC).

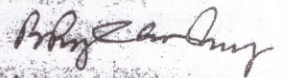
Note: Medals won in one championship in a single year shall be considered as one occasion.

While World Championships/World Cup are held once in 4 years; In some disciplines there are annual world championships & in certain others they are held once in two years. (For such disciplines only 01 medal winning performance in 4 years will be considered, maintaining parity with World Championships in other disciplines.

For Out-of-Turn promotion to Coaches one achievement will be considered for one promotion only and Out-of-Turn Promotion shall be granted with a gap of minimum four years.

The sportsperson(s) achieving the requisite sports performance norms should apply to controlling Railway Administration. The Railway/PU will consider the case expeditiously and obtain the approval of the Competent Authority on the Railway (General Manager) for Group "B" promotion.

These instructions will be applicable for all serving railway sportspersons/ coaches fulfilling the existing criteria.



(Bhaskar Roy Choudhury)

Dy. Director, Estt. (Sports)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAYS BOARD)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2018

महाप्रबंधक(कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं

चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्टरी, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला, महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ.

विषय: श्रेणी ए एवं बी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को अधिकारी संवर्ग में बिना बारी के पदोन्नति (ओटीपी) देना।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. (i) 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी) (आरबीई सं. 189/2010)

(ii) दिनांक 23.05.2013 के पत्र सं. 2012/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/3/ओटीपी/डीओपीटी (आरबीई सं. 50/2013) और उस संबंध में जारी स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

कृपया ऊपर उल्लिखित बोर्ड के नीतिगत पत्रों के पैरा 9.2.1.1, 9.2.2.1 और 9.2.ए का अवलोकन करें जो श्रेणी-ए और बी की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को बिना बारी पदोन्नति देने के संबंध में हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने उपर्युक्त के संबंध में आंशिक संशोधन/आवर्धन करते हुए यह विनिश्चय किया है कि:

- i) उस खिलाड़ी को अधिकारी ग्रेड में बिना बारी के पदोन्नति दी जाए, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:
- क) जिन्होंने ओलम्पिक में कम-से-कम दो अवसरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और राष्ट्रमंडल खेलों/एशियाई खेलों में कम-से-कम एक पदक जीता हो।

या

- ख) जिन्होंने ओलम्पिक में कम-से-कम दो अवसरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो और जिन्हें अर्जुन पुरस्कार/राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया हो।

या

- ग) जिन्हें खेलकूद में उपलब्धि के आधार पर पद्म पुरस्कार दिया गया हो और वह नियमित कर्मचारी हो।

- ii) उस कोच को अधिकारी ग्रेड में बिना बारी के पदोन्नति दी जाए, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

क) जिन्हें खेलकूद में उपलब्धि के आधार पर पद्म पुरस्कार दिया गया हो और वह नियमित कर्मचारी हो।

या

ख) यदि उसने किसी ऐसे खिलाड़ी अथवा किसी टीम को प्रशिक्षण दिया हो, जो कम-से-कम एक ओलम्पिक सहित श्रेणी ए और बी चैंपियनशिप के कम-से-कम 3 अवसरों पर पदक जीता हो और उसके बाद वह ग्रेड पे 4200/- (या सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के समकक्ष) में हो।

नोट: किसी एक वर्ष में एक प्रतियोगिता में जीते गए पदक को एक अवसर के रूप में माना जाएगा।

हालांकि विश्व चैंपियनशिप/विश्व कप का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है; परन्तु कुछ खेलों में वार्षिक विश्व चैंपियनशिप होती हैं और कुछ अन्य खेलों में ये दो वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। (ऐसे खेलों के लिए, अन्य खेलों में विश्व चैंपियनशिप के साथ समानता रखते हुए, 4 वर्षों में केवल 01 पदक जीतने वाले खिलाड़ी पर विचार किया जाएगा)।

कोचों को बिना बारी के पदोन्नति देने के लिए केवल एक पदोन्नति के लिए एक उपलब्धि पर विचार किया जाएगा और बिना बारी की पदोन्नति कम-से-कम चार वर्षों के अंतराल पर दी जाएगी।

खेल प्रदर्शन में अपेक्षित मानदण्डों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों को नियंत्रक रेल प्रशासन को आवेदन करना चाहिए। रेलवे/उत्पादन इकाई इस मामले पर शीघ्र विचार करेगी और ग्रुप 'बी' पदोन्नति के लिए रेलवे में सक्षम प्राधिकारी (महाप्रबंधक) का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

ये अनुदेश उन सभी सेवारत रेल खिलाड़ियों/कोचों के लिए लागू होंगे, जो मौजूदा मानदण्डों को पूरा करते हों।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक/स्था.(खेलकूद)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/4/पॉलिसी

नई दिल्ली, दिनांक 17.08.2018

प्रतिलिपि:

ER

1. मानद महासचिव, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के खेलकूद संघ
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
3. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, 7-जीएफ, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली.

नवीन कुमार
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड